

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 29 जनवरी 2015—माघ 9, शक 1936

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश  
पर्यावरण परिसर, ई-अरेरा कालोनी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2015

सूचना

क्र. 302-वियो-430-नग्रानि-2014.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आगर निवेश क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार दिनांक 29 जनवरी 2015 को प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति कार्यालयीन समय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है :-

1. आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन, म.प्र.
2. जिला कलेक्टर, आगर (मालवा), म.प्र.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका, आगर, म.प्र.
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, उज्जैन, म.प्र.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप विकास योजना के संबंध में हों, उसे लिखित रूप में प्रदर्शनी स्थल अथवा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, उज्जैन में इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

गुलशन बामरा, आयुक्त-सह-संचालक.

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2015

क्र. एफ-3-6-2015-अठारह-5.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 302-वियो-430-नग्रानि-2014, दिनांक 21 जनवरी 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

Bhopal, the 21st January 2015

NOTICE

No. 302-MPS-430-2014.—Notice is hereby given that the Draft Development Plan for Agar Planning Area has published on dated 29th January 2015 in accordance with the provisions of sub-section (1) of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), a copy thereof is available during office hours, for inspection at,—

1. Commissioner, Ujjain Division, Ujjain M.P.
2. Collector, District-Agar (Malwa) M.P.
3. Chief Municipal Officer, Municipal Council, Agar M.P.
4. Joint Director, Town & Country Planning, Distt. Office, Ujjain, M.P.

If there be any objection or suggestion with respect to the said draft plan, the same may be submitted in writing to the venue place or Joint Director, Town & Country Planning, Ujjain before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration.

GULSHAN BAMRA, Commissioner-cum-Director.